

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

शामे-क बनाम व्यक्ती डेवी वर्गो
 किस्म मुकदमा 212 RTN मु.नं. 83 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
16 ⁰⁶ / ₂₀₂₅	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि <u>23.06.2025</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
23/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी रिजि. 3/21/25 को पेश हो।</p>
03/07/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य काय में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>29/07/25</u> को पेश हो।</p>
29 ⁰⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी रिजि. <u>28 ⁰⁸/₂₅</u> को पेश हो।</p>
26 ⁰⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनु. वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को वाड-वाड आवाम लगवाई गई। उक्त डे वानबूद न्यायालय समय में ए।मं.काल तक भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं में लं कोई भी उपस्थित नहीं होना पड पत्रावली इसी स्तर पर अदम पेंडगी। अदम हाजिरी में जारी क्रिये जाने के धोडेन डिमं जाते हैं। पत्रावली कंसल बुमाड लोकड कपड कमील दाखिल कएत हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद जिला-सीकर</p>

